<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—1218 / 2013</u> संस्थित दिनांक—23 / 12 / 2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>अ</u>

विरुद्ध

1—मनु कुमार उर्फ मनोज धुर्वे पिता स्व. समाज सिंह धुर्वे उम्र—28 वर्ष, निवासी—ग्राम रेलवाही, थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—कमलिसंह धुर्वे पिता दुरगु सिंह धुर्वे निवासी—बंजर कॉलोनी बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्तगण

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-20 / 03 / 2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी मनु कुमार उर्फ मनोज के विरुद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196, 130(3)/177, 185 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—28.11.2013 को समय रात्रि करीब 20:10 बजे थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी.50 एम.एफ. 9892 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत सुरेश धुर्वे को गिराकर घोर उपहित कारित की एवं उक्त वाहन के दस्तावेज मांगे जाने पर पेश नहीं किया और उक्त वाहन को नशे की हालत में चलाया तथा आरोपी कमलिसंह के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त वाहन के स्वामी होते हुये उक्त वाहन को बिना बीमा करवाये चालन करवाया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 28.11.2013 को समय करीब 20:10 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बिरसा में युनियन बैंक के सामने लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी.50 एम.एफ. 9892 को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चलाते हुये आहत सुरेश धुर्वे को मोटरसाईकिल से गिरा दिया जिसके

फलस्वरूप उसके सिर व दाहिने हाथ की कोहनी में घोर उपहित कारित हुई। घटना की रिर्पोट सूचनाकर्ता योगेश कुमार द्वारा थाना बिरसा में की गई, जिस पर पुलिस द्वारा अपराध कमांक 163/13 की धारा 279, 337 भा.दं.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये एवं विवेचना के आधार पर वाहन के दस्तावेज पेश न करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा—130(3)/177, 185 इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी मनु उर्फ मनोज के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— प्रकरण में अभियोगपत्र पेश होने के उपरांत वाहन मालिक आरोपी कमलिसंह को आरोपी के रूप में अभियोजित किया गया है। आरोपी मनु कुमार उर्फ मनोज को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196, 130(3)/177, 185 के अंतर्गत एवं आरोपी कमलिसंह के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत सुरेश धर्व ने आरोपी मनु कुमार उर्फ मनोज धुर्वे से राजीनामा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप आरोपी मनु कुमार उर्फ मनोज धुर्वे के विरुद्ध धारा—338 भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष धारा—279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196, 130(3)/177, 185 के अंतर्गत के अपराध का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी मनु उर्फ मनोज धुर्वे ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :--

- 1— क्या आरोपी मनु कुमार ने दिनांक—28.11.2013 को समय रात्रि करीब 20:10 बजे थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी. 50 एम.एफ. 9892 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2— क्या आरोपी मनु कुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन के दस्तावेज मांगे जाने पर पेश नहीं किया ?

- 3— क्या आरोपी मनु कुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन को नशे की हालत में चलाया ?
- 4— क्या आरोपी कमलसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के स्वामी होते हुये उक्त वाहन को बिना बीमा करवाये चलाने दिया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— सुरेश धुर्वे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले साल नवम्बर माह की है। घटना दिनांक को वह आरोपी मनोज धुर्वे के साथ उसकी मोटरसाईकिल में बैठकर ग्राम मानेगांव से मलाजखण्ड जा रहा था। उक्त मोटरसाईकिल को आरोपी चला रहा था। सामने से बोदा आ रहे थे, तो बोदा चराने वाले चरवाहे ने बोदे को लकड़ी से मारा तो बोदा भाग कर उनकी मोटरसाईकिल से टकरा गया था, जिससे मोटरसाईकिल गिर गई थी। उक्त दुर्घटना में उसे सिर पर चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा तथा बालाघाट में हुआ था। उसके बाद मिलाई में मी हुआ था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पलटा दिया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार मामले में आहत होते हुए भी इस साक्षी ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 6— योगेश कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह आहत सुरेश धुर्वे को भी पहचानता है। घटना पिछले साल शाम 8:00 बजे युनियन बैंक आफ इंण्डिया बिरसा के सामने की बात है। घटना दिनांक को बाजार का दिन था, भैस समूह में जा रही थी तभी आरोपी मोटरसाइकिल से बिरसा से बालाघाट मार्ग तरफ आ रहा था, तो आरोपी की मोटरसाइकिल भैंस से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल गिर गई। मोटरसाइकिल में सवार आरोपी और उसके साथी दोनों को चोट आयी थी। उसने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। देहाती नालसी प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे मोटरसाइकिल प्रदर्श पी—5 के अनुसार जप्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में थी।

पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी।

7— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी. 50 एम.एफ—9892 को तेजी व लापरबाही से चलाकर गिरा दिया था। साक्षी ने देहाती नालसी प्रदर्श पी—2 रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी—6 से भी इंकार किया है। साक्षी ने घटना के समय आरोपी के मोटरसाईकिल चलाने से भी इंकार किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी गाड़ी धीरे—धीरे चला रहा था और घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा भी अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है।

08— अभियोजन की ओर से उक्त दोनों साक्षीगण के अलावा अन्य साक्षीगण को प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के फौत होने के कारण उसकी साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नहीं की जा सकी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य से मात्र यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी मनु उर्फ मनोज के द्वारा उपरोक्त मोटरसाईकिल का चालन किया जा रहा था, किन्तु मोटरसाईकिल को आरोपी मनु उर्फ मनोज के द्वारा कथित रूप से उतावलपन या उपेक्षा से चलाए जाने के संबंध में साक्षीगण ने अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

09— यह साबित करने का भार अभियोजन पर है कि घटना के समय आरोपीगण के द्वारा मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी.—50 एम.एफ—9892 को बिना बीमा कराए चलाया जा रहा था और आरोपी मनु उर्फ मनोज ने वाहन के दस्तावेज मांगने पर भी पेश नहीं किया। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रकट नहीं होता कि आरोपीगण के द्वारा कथित मोटरसाईकिल को बिना बीमा के चलाया जा रहा था तथा दस्तावेज मांगने पर भी आरोपी ने पेश नहीं किया। आरोपी मनु उर्फ मनोज के मात्र मोटरसाईकिल के चालन के प्रमाणित होने से भी स्वमेव यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त मोटरसाईकिल को बिना बीमा के आरोपी मनु उर्फ मनोज के द्वारा चलाई जा रही थी व दस्तावेज मांगने पर पेश नहीं किया और उसके मालिक आरोपी कमलिसंह के द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवा रहा था। इस प्रकार अभियोजन का संपूर्ण मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी मनु उर्फ मनोज धुर्वे ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50 एम.एफ. 9892 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया व वाहन के दस्तावेज मांगे जाने पर पेश नहीं किया तथा वाहन को नशे की हालत में चालन किया। साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी कमलसिंह ने उक्त वाहन का मालिक होते हुए वाहन को बिना बीमा के चलवाया। फलस्वरूप आरोपी मनु कुमार उर्फ मनोज धुर्वे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—146 / 196, 130(3) / 177, 185 के अपराध के अंतर्गत एवं आरोपी कमलिसंह को मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50 एम.एफ. 9892 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार कमलिसंह धुर्वे पिता दुरगु सिंह निवासी बंजर कॉलोनी जिला बालाघाट को सुपूर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

ALLAND SILVENT SILVENTS SILVEN निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट